छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | पंचादश सत्र | अंक-11

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2018

(फाल्गुन 1, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

10 एवं 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 34 तारांकित एवं 57 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में नक्सली वारदातों में लगातार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति संबधी 32 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना अधिक तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने महानदी परियोजना अंतर्गत जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर के स्वीकृत कार्यों के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री बघेल लखेश्वर, दीपक बैज, सदस्य ने प्रदेश में आदिवासी छात्रावासों में अध्ययनरत् छात्रों की मौत होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री दीपक बैज
(3) श्री सत्यनारायण शर्मा

(4) श्री भोलाराम साहू

(5) श्री नवीन मारकण्डेय

6. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने पुलिस से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल से संबंधित मांग संख्या 5 एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर श्री अमरजीत भगत, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, बघेल लखेश्वर मांग संख्या-4 पर सर्वश्री अमरजीत भगत, बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, बृहस्पत सिंह, डॉ. प्रीतम राम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम मांग संख्या-5 पर श्री बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा मांग संख्या-20 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, बृहस्पत सिंह, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम एवं डॉ. प्रीतम राम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

7. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा एलोपैथिक चिकित्सालय में दिनांक 20 फरवरी, 2018 से 22 फरवरी, 2018 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। माननीय सदस्य 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सुविधा का लाभ लेवें।

8. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) खिलावन साहू, कवासी लखमा, रामलाल चौहान,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक बैज, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतराम नेताम, नवीन मारकण्डेय, उमेश पटेल, राजेन्द्र कुमार राय, मोतीलाल देवांगन, डॉ. विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री केशव चंद्रा, शिवरतन शर्मा, भूपेश बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-82 पर श्री सत्यनारायण शर्मा मांग संख्या-33 पर श्री टी.एस.सिंहदेव, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. प्रीतम राम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, संतराम नेताम, दीपक बैज, लालजीत सिंह राठिया मांग संख्या-41 पर श्री बघेल लखेश्वर मांग संख्या-42 पर श्री बघेल लखेश्वर मांग संख्या-49 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, बघेल लखेश्वर मांग संख्या-53 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, बघेल लखेश्वर मांग संख्या-64 पर श्री रामदयाल उईके मांग संख्या-66 पर श्री टी.एस.सिंहदेव, मांग संख्या-68 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री रामदयाल उईके मांग संख्या- 27 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, कवासी लखमा, मोतीलाल देवांगन, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री भोलाराम साहू, डॉ. प्रीतम राम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री पारसनाथ राजवाड़े, संतराम नेताम, बृहस्पत सिंह, दीपक बैज, लालजीत सिंह राठिया, गिरवर जंघेल एवं केशव चंद्रा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

9. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की बजट पुस्तिका क्रमांक 20 में संशोधन प्रस्तुत किये ।

10. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री रामदयाल उईके, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री श्याम बिहारी जायसवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम,

सायं 7.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2018 (फाल्गुन-2, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा